

जिला अस्पताल में अस्थि रोग विशेषज्ञ से मारपीट, डॉक्टरों के विरोध के बाद आरोपी गिरफ्तार

► बेटी के फ्रैक्चर को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़का परिजन

नव भारत न्यूज
रतलाम। जिला अस्पताल की ओपीडी में शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान एक डॉक्टर पर हुए हमले ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए। अपनी घायल बेटी को इलाज के लिए लाए एक व्यक्ति ने अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. दिनेश भूरिया से पहले अभद्रता की, फिर थप्पड़ों और नाखून से हमला कर दिया। घटना से ओपीडी में अफरा-तफरी मच गई। डॉक्टरों के विरोध और अस्पताल प्रशासन की शिकायत के बाद स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

घटना शुक्रवार सुबह करीब 11.30 बजे जिला अस्पताल की अस्थि रोग ओपीडी में हुई। पुलिस के अनुसार चिंगीपुरा निवासी आसिफ पुत्र रशीद अपनी बेटी को इलाज के लिए लेकर अस्पताल पहुंचा था। उसने डॉक्टर को बताया कि बच्ची का हाथ कपड़े बदलते समय फ्रैक्चर हो गया। चिकित्सकीय दृष्टि से यह कारण असामान्य लगने पर डॉ. दिनेश भूरिया ने चोट का वास्तविक कारण पूछ लिया। इसी बात पर आसिफ भड़क गया।



डॉ. दिनेश भूरिया

आरोपी आसिफ

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने पहले डॉक्टर से गाली-गलौज की। विरोध करने पर उसने डॉ. भूरिया को थप्पड़ मारे और नाखून से उनके चेहरे पर हमला कर नाक व गाल पर खरोंच पहुंचा दी। अचानक हुई इस घटना से ओपीडी में मौजूद मरीज और उनके परिजन घबरा गए तथा कुछ समय के लिए उपचार व्यवस्था प्रभावित हुई। शोर सुनकर डेसर धर्मेन्द्र चौधरी और चुन्नीलाल यादव बीच-बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन आरोपी ने उन्हें भी धमकाया। उसने स्वयं को चिंगीपुरा का रहने वाला बताते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद अन्य चिकित्सक और अस्पताल कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया।

अस्पताल परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल आरोपी को पकड़कर स्टेशन रोड थाना पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी

घटना के बाद डॉक्टर पहुंचे थाने
अस्पताल परिसर में तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल आरोपी को पकड़कर स्टेशन रोड थाना पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में डॉक्टर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि यदि अस्पताल में द्यूटी कर रहे डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। सिविल सर्जन डॉ. एपी सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ मध्यप्रदेश चिकित्सक एवं चिकित्सा से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत भी प्रकरण दर्ज किया। थाना प्रभारी जितेंद्रसिंह जादौन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मामले की जांच जारी है।

एक नजर में

विश्व जनसंख्या दिवस आज मनाया जाएगा

रतलाम। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ किरण वाडीवा ने बताया कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य सही समय पर गर्भावस्था तथा दो बच्चों के मध्य सही समय के अंतर को स्वीच्छिक साधनों के उपयोग से बढ़ावा देना है , जिससे मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम ' मां और बच्चे की अच्छी सेहत के लिए गर्भधारण के लिए सही समय तथा गर्भावस्था के मध्य सही अंतर रखा जाना जरूरी है , अनचाहे गर्भधारण से बचे ' निर्धारित की गई है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस अभियान का नारा 'जब तक बच्चों में हो सही अंतर, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल ' है। 11 जुलाई से 18 जुलाई के मध्य जिले की समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में परिवार नियोजन के साधनों की उपलब्धता तथा सेल्फ केयर किट में कंडोम प्रेग्नेन्सी किट व आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली की प्रदायगी के साथ परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएगी। अभियान के दौरान सच बहु सम्मेलन , परिवार विकास सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। डॉ राजेश मंडलोई जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शादी के बाद बच्चों में देरी , बच्चों के जन्म में उचित अंतराल, प्रसव पश्चात तथा गर्भपात पश्चात परिवार नियोजन की सेवाएं, परिवार नियोजन में पुरुषों की सहभागिता , दीर्घकालिक गर्भनिरोधक साधन का उपयोग करके स्वस्थ परिवार बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर संपर्क के दौरान शादी के बाद बच्चों के जन्म में 2 साल की देरी , पहले और दूसरे बच्चे के बीच कम से कम 3 साल का अंतराल और दो बच्चों के बाद भी गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के संबंध में परामर्श प्रदान करेंगे।

निजी अस्पताल प्रबंधकों की बैठक



रतलाम। कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशानुसार न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पीएम राहत योजना के संबंध में निजी अस्पताल प्रबंधकों की बैठक एडीएम बृजेंद्र कुमार रावत एवं सीएमएचओ डॉ किरण वाडिवा की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तुतिकरण के दौरान डीआईओएनआईसी श्रेय भावसार एवं डीएएमएनआईसी रोहित भट्ट ने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत दुर्घटना के मामलों में पीडित व्यक्ति को 7 दिन तक भर्ती रहने पर डेढ़ लाख रुपए तक का नि:शुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत रतलाम जिले में अब तक 22 प्रकरणों में 4 लाख 13 हजार 465 रुपये की राशि की स्वीकृति जारी कर अस्पतालों के खाते में राशि जारी की जा चुकी है। योजना में रतलाम जिले के मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय एवं सिविल अस्पताल सहित अन्य शासकीय अस्पतालों को इन ईपैनलड किया जा चुका है। निजी अस्पतालों के अंतर्गत रतलाम जिले के आरोप्य हॉस्पिटल कॉलेज रोड रतलाम, आशीर्वाद नर्सिंग होम काटजू नगर रतलाम, आयुष्मान सुपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल महरू रोड रतलाम, श्रद्धा हॉस्पिटल काटजू रोड रतलाम, केके शाह हॉस्पिटल काटजू नगर रतलाम, शंकुश हॉस्पिटल महरू रोड रतलाम, जीडी हॉस्पिटल 80 फीट रोड रतलाम, जैन दिवाकर अरविंदो हॉस्पिटल सागोद रोड रतलाम, राघव न्यूरो ट्रीमा सेंटर सैलाना रोड रतलाम, सरदार पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जावरा को ईपैनलड किया जा चुका है। बैठक के दौरान एडीएम बृजेंद्र कुमार रावत ने जिले के सभी अस्पताल प्रबंधकों को योजना अंतर्गत ईपैनलमेंट हेतु आवेदन करने के लिए निर्देशित किया। बैठक के दौरान बताया गया कि दुर्घटना होने के 24 घंटे की अवधि में अस्पताल में एडमिशन लिया जाना अनिवार्य है, योजना के अंतर्गत उपचार संबंधी राशि जारी करने संबंधी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बैठक में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक के दौरान कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ राजेश मंडलोई, आनंदीलाल जैन, पुलिस विभाग के कर्मचारियों सहित निजी अस्पतालों के प्रबंधक आदि उपस्थित रहे।

एलआईसी शाखा में विकास अधिकारी की पत्नी ऑनलाइन ठगी का शिकार, 34,997 रुपए निकाले जावरा। एलआईसी शाखा जावरा में पदस्थ विकास अधिकारी की पत्नी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। ठगों ने उनके बैंक खाते से अलग-अलग समय में कुल 34,997 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शास्त्रीनगर कॉलोनी जावरा निवासी संजय गणेशराम कन्नौजिया ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को उनकी पत्नी के बैंक खाते से अलग-अलग समय में कुल 34,997 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई है। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस साइबर सेल की मदद से लेनदेन के विवरण और मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक, ओटीपी या कॉल पर बैंक की जानकारी साझा न करें।

श्रीगंगानगर में मासूम बच्ची के साथ हुई दर्दनाक घटना का विरोध, प्रदर्शन किया

सैलाना। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जिला मुख्यालय पर एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ पांच दिनों तक हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। जिसकी संरक्षा एसोसिएशन सैलाना कड़ी निंदा करता हे जिस निर्दयता के साथ 32 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया उसी निर्दयता के साथ ऐसे लोगों को फांसी की सजा का आह्वान सर्राफा एसोसिएशन सैलाना ने सरकार से किया एवं होटल मालिकों पर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही एवं सजा की भी मांग की सर्राफा एसोसिएशन द्वारा सरकार से देश में हो रही अपराधिक घटनाओं पर कड़ी निगाहे व कठोर मुत्युदंड देने का आह्वान किया। एवं प्रत्येक नागरिकों से अनुरोध किया अपने बच्चों के प्रति जागरुकता एवं सजगता बनाए रखे जिससे अपराधिक घटनाओं को रोक जा सके। विरोध प्रदर्शन में सर्राफा एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश सोनी, ओमप्रकाश सोनी, मनोष ग्वालियरी, महेंद्र ग्वालियरी, योगेश संघवी,जितेन्द्र रांका, निवेश सोनी,जीतू भरावा,बंशीलाल सोनी, अंकुर ग्वालियरी,शिव कुमार सोनी, कारु सोनी द्वारा कड़ी निंदा की गई।

रेलवे ने किया अनोखा प्रयोग, 30 किलोवाट का सोलर कारपोट शुरु

नव भारत न्यूज
रतलाम। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहल करते हुए रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल में 30 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयुक्त दो सोलर कारपोट के रूप में पुनर्स्थापित किया है। यह रतलाम मंडल की अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना है, जिसमें सिलीकॉन उत्पादन के साथ वाहन पार्किंग की सुविधा को भी जोड़ा गया है। परियोजना का लोकार्पण मंडल रेल प्रबंधक अश्वनी कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत के नवीनीकरण और पुनर्विकास के कारण पहले छत पर लगे सौर संयंत्र को हटाना आवश्यक हो गया था। ऐसे में विद्युत विभाग ने संयंत्र को निष्क्रिय करने के बजाय उसका नया उपयोग तलाश और उसे पार्किंग स्थल के ऊपर सोलर कारपोट के रूप में स्थापित कर दिया। सोलर कारपोट ऐसी व्यवस्था है, जिसमें वाहन पार्किंग की छत पर सौर पैनल लगाए जाते हैं। इससे एक ओर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होता है तो दूसरी ओर पार्क किए गए

जावरा को मिले नए शहर काजी : हाफिज कारी मौलाना इमरान साहब की दस्तावेबंदी

जावरा। शहर काजी मरहूम हाजी हाफिज मोहम्मद शफी (भुरू भाईजान) के इंतकाल के बाद रिक्रि हुए शहर काजी के प्रतिष्ठित पद पर सर्वसम्मति से हाफिज कारी मौलाना इमरान साहब को जावरा का नया शहर काजी नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति को लेकर शहर की विभिन्न मस्जिदों के इमाम, हाफिज साहेबान, सीरत कमेटी तथा अन्य मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद सभी पक्षों ने सर्वसम्मति से हाफिज कारी मौलाना इमरान साहब के नाम पर अपनी मुहर लगाई और उन्हें शहर काजी की अहम जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया। नया शहर काजी नियुक्त होने के उपरांत

इतेफाक कमेटी के सदर पेपा पहलवान एवं विभिन्न मुस्लिम कमेटीयों के पदाधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से मौलाना इमरान साहब का साफा बांधकर दस्तावेबंदी की। इस मौके पर सभी मौजूद लोगों ने उन्हें गले लगाकर इस नई और बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश की। बैठक में वरिष्ठों ने बताया कि इससे पूर्व फखरे आलम साहब के इंतकाल के बाद भी सीरत कमेटी एवं शहर की मस्जिदों के इमामों की सर्वसम्मति से ही मरहूम हाजी हाफिज मोहम्मद शफी (भुरू भाईजान) को शहर काजी चुना गया था। परंपरा के अनुसार, वरदान में भी शहर काजी की नियुक्ति का सर्वाधिकार शहर के इमामों और सीरत कमेटी के पास ही सुरक्षित है।

एक साल पुरानी झपटमारी का खुलासा, 2 गिरफ्तार

► लक्ष्मणपुरा में मंदिर के पास हुई थी वारदात
► सोने की चेन और बाइक जब्त

नव भारत न्यूज
रतलाम। करीब एक वर्ष पहले लक्ष्मणपुरा क्षेत्र में सुबह-सुबह हुई चेन झपटमारी की वारदात का औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब दो लाख रुपए कीमत की सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की हौरो एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल जब्त की है। मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार 21 अगस्त 2025 की सुबह करीब पांच बजे लक्ष्मणपुरा निवासी ज्ञान प्रकाश व्यास अपने घर से कचरा डालने के लिए चामुंडा माता मंदिर के पास गए थे। इसी दौरान पीछे से

लापरवाही पर दो राजस्व अधिकारियों पर अर्थदंड

► 21 प्रकरण समयसीमा से बाहर पाए जाने पर की कार्यवाही

रतलाम। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अपर कलेक्टर बृजेंद्र कुमार रावत ने दो राजस्व अधिकारियों पर कुल 5,250 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट तथा न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा कालूखेड़ा के कुल 21 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। इस समयसीमा में आवेदनों का

निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं, जो अधिनियम का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत नायब तहसीलदार आलोट

राजेश पाटीदार पर 18 लंबित प्रकरणों के लिए 4,500 रुपये तथा नायब तहसीलदार टप्पा कालूखेड़ा श्रीमती श्रद्धा द्विवेदी पर 3 लंबित प्रकरणों के लिए 750 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

हरथली और तितरी में टीकाकरण दिवस का निरीक्षण

नव भारत न्यूज
रतलाम। ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम गुरुवार को हरथली और तितरी गांव पहुंची। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत आयोजित टीकाकरण सत्रों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वास्थ्य कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र गर्भवती महिला या बच्चा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. किरण वाडिया तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी सुभाष जैन ने टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, एएनसी रजिस्टर,

टीकाकरण रिकॉर्ड और आशा कार्यकर्ताओं की डायरी का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड अद्यतन रखने के साथ ही व्यवस्था सेवकों की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ

डॉ. वाडिया ने निर्देश दिए कि प्रत्येक केंद्र पर प्रसवपूर्व जांच के लिए टेबल, फुट स्टेप स्टूल, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, हीमोग्लोबिन और मधुमेह जांच की सुविधा उपलब्ध रहे। साथ ही फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की

पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला की संपूर्ण प्रसवपूर्व जांच कर हाई-रिस्क गर्भावस्था की समय पर पहचान और उचित उपचार सुनिश्चित करना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुभाष जैन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बढ़ाने, सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीयन कराने, बच्चों को नियमित टीकाकरण के लिए केंद्र तक लाने और सभी अभिलेख अद्यतन रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील, न्यूट्रीशनल इंटरनेशनल उज्जैन संभाग के संभागीय समन्वयक आशीष पुरोहित, लोकेश वैष्णव, सैय्यद अली और सुरेश पाठक भी उपस्थित रहे।

एकादशी संकीर्तन :मधुर प्रस्तुतियों ने बांधा समां

रतलाम। गीता मंदिर रोड स्थित गीता मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में शुक्रवार को एकादशी संकीर्तन का भव्य आयोजन किया गया। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित इस भक्तिमय संकीर्तन में प्रसिद्ध भजन गायक पं गोपाल कृष्ण शर्मा ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान पं. शर्मा ने ‘गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, पाप-पुण्य सब तेरे अर्पण’ तथा ‘कन्हैया ले चल परली पार, जहां बिराजे अलबेली सरकार’ जैसे भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को कृष्णमय बना दिया। भजनों की मधुर स्वर लहरियों पर महिला एवं पुरुष श्रद्धालु भक्ति भाव से झूम उठे और नृत्य करते हुए भगवान श्रीकृष्ण को रिझाने का प्रयास किया। संकीर्तन में वीरेंद्र वाफगावकर, संजय व्यास, दीपक पुरोहित, हरीश रत्नावत, गोवर्धन रेडा, राहुल सोनी, डॉ. पी.के. पुरोहित, किरण व्यास, संतोष सेठिया, लीना ठक्कर, नीतू व्यास, रेणु व्यास, उमा पुरोहित सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

एक नजर में

मंदिर के पास अतिक्रमण और गंदगी का किया था विरोध

पुजारी को जान से मारने की धमकी, आंदोलन की चेतावनी



कार्रवाई न होने पर होगा आंदोलन

जापान के माध्यम से प्रशासन से मांग कि है कि शहर की शांति भंग करने वाले आरोपियों पर तुरंत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मंदिर परिसर के पास किए गए अवैध अतिक्रमण को तुरंत हटया जाए। यदि प्रशासन द्वारा इस मामले में जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

उनकी पत्नी और बेटियों द्वारा आए दिन मंदिर परिसर के पास गंदगी फैलाई जाती है और वहां अवैध अतिक्रमण भी कर लिया गया है। इसका विरोध करने पर अक्सर विवाद की स्थिति निर्मित होती है। जापान में बताया गया है कि जब पुजारी नंदकिशोर हमेशा की तरह मंदिर में पूजा करने गए, तब गुड्डू पहलवान और उनके परिवार ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने पुजारी को मंदिर बंद करने और पूजा न करने की धमकी दी। जब पुजारी ने इसका विरोध किया, तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। झूठे मुकदमों में फंसेना की बात कही गई।